

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला— नैनीताल

संख्या: 283 /मैस/2024

दिनांक:05.03.2024

पंजीकरण सूचना

(अकादमी मैस हेतु खाद्य सामग्री की आपूर्ति)

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिये उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के मैस, हेतु खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु व्यापार कर से पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्मों से दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि के लिए थोक विक्रेताओं सप्लायरों/फर्मों से मुहरबन्द पंजीकरण आमंत्रित किये जाते हैं। पंजीकरण फार्म तथा नियम एवं शर्तें दिनांक 05.03.2024 के अपराहन 12:00 बजे से अकादमी की वेबसाइट www.ujala.uk.gov.in से डाउनलोड अथवा अकादमी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। पंजीकरण फार्म अन्तिम तिथि 20.03.2024 अपराहन 12:00 बजे तक अकादमी कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। पंजीकरण फार्म धनराशि ₹ 1,770 (रुपये एक हजार सात सौ सतहत्तर मात्र) है (non-refundable), पंजीकरण फार्म हेतु ली गयी धनराशि वापस नहीं की जायेगी। पंजीकरण प्रपत्र के साथ पंजीकरण शुल्क (refundable) की धनराशि ₹ 5,000/- का एफ.डी.आर जो कि निदेशक उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के नाम पर बंधक हो, संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि/समय के उपरान्त प्राप्त प्रपत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। फार्म दिनांक 20.03.2024 अपराहन 03:00 बजे उपस्थित फर्मों के प्रतिनिधियों के सम्मुख क्रय समिति द्वारा खोले जायेगे। पंजीकरण फार्म स्वीकृत अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अकादमी के पास होगा।

अध्यक्ष, क्रय समिति
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, नैनीताल।

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, जिला- नैनीताल

संख्या: 283 / मैस /2023

दिनांक: 05.03.2024

(अकादमी मैस में खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पंजीकरण आमंत्रण सूचना)

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल की मैस, हेतु खाद्य सामग्री की आपूर्ति किये जाने हेतु व्यापार कर से पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्मों से दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि के लिए थोक विक्रेताओं सप्लायरों/फर्मों से मुहरबन्द पंजीकरण आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं । पंजीकरण फार्म तथा नियम एवं शर्तें दिनांक 05.03.2024 के अपराहन 04:00 बजे से अकादमी की वेबसाइट www.ujala.uk.gov.in से डाउनलोड अथवा अकादमी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण फार्म अकादमी में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 20.03.2024 अपराहन 12:00 बजे है।

अध्यक्ष, क्रय समिति
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, नैनीताल।

REGISTRATION OF SUPPLIERS FOR FOR SUPPLY OF FOOD INGREDIENTS IN ACADEMY MESS

Important Dates & Details:

Sl. No.	Details	Date/Time
1.	Start of Issuing Registration Form	05.03.2024 04:00 PM
2.	Last Date & Time for Submission	20.03.2024 12:00 PM
3.	Date & Time of Opening of Registration Form	20.03.2024 03:00 PM
4.	Venue of Opening of Registration Form	Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Ghorakhal Road, Bhowali, District- Nainital
5.	Registration Form Fees (Non-refundable)	₹1,770 (including GST)
6.	Registration Fees (Refundable)	₹5,000/-
7.	Contact Details	Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, Nainital- 263132 Ph- 05942-221375

Registration form for supply of food items and ingredients and rules and regulation can be collected from the office of the Academy or may be may be downloaded from the website of the Aacdemy www.ujala.uk.gov.in

नियम एवं शर्तें

नियम एवं शर्तें

1. अकादमी मैस में खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पंजीकरण प्रपत्र की अवधि वित्तीय वर्ष 2024-2025 (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 तक) के लिए मान्य है।
2. पंजीकरण प्रपत्र का मूल्य य ₹ 1,770 (रुपये एक हजार सात सौ सतहत्तर मात्र), जी.एस.टी. सहित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो "निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी" के नाम से जारी किया गया हो, तथा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा, नैनीताल पर देय हो, पंजीकरण प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय तक अथवा इससे पूर्व, मूल रूप में अकादमी में जमा किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रपत्र दिनांक 05.03.2024 को अपरान्ह 10:00 बजे से दिनांक 20.03.2024 को अपरान्ह में 12:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर अकादमी कार्यालय में जमा की जा सकती है। पंजीकरण प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 20.03.2024 अपरान्ह 12:00 बजे तक है। पंजीकरण प्रपत्र दिनांक 20.03.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेंगी।
3. अकादमी द्वारा मैस की आवश्यकतानुसार वांछित (क) सूखी खाद्य सामग्री (ख) जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री की सूची पृथक-पृथक तैयार की गयी है। आपूर्तिकर्ता फर्म वर्णित सूची 'क' 'ख' दोनो अथवा दोनो में से किसी भी सूची हेतु स्वेच्छा से पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकती है।
4. आपूर्तिकर्ता फर्म का अपना पेन, आयकर प्रमाण-पत्र एवं वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। आपूर्तिकर्ता फर्म के पास वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) सम्बन्धी पंजीकरण हो। पंजीकरण प्रपत्र दिये जाने हेतु इच्छुक फर्म का पिछले 02 वर्षों में न्यूनतम 10 लाख प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। उक्त के संबंध में समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।
5. पंजीकरण प्रपत्र के साथ पंजीकरण शुल्क राशि ₹5,000 (रुपये पाँच हजार), राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0 डी0 आर0 के रूप में जो निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में बन्धक हो, मूल रूप में लगाई जानी अनिवार्य है, जिसकी वैधता पंजीकरण प्रपत्र खोलने की अवधि के पश्चात् कम से कम 365 दिन की होनी चाहिए। धरोहर धनराशि की एफ.डी.आर. पंजीकरण प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय अथवा इससे पूर्व, मूल रूप में अकादमी में जमा किया जाना अनिवार्य है।
6. खाद्य सामग्री की दरों में निरन्तर उतार-चढ़ाव होने के कारण अकादमी द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्मों से, अकादमी मैस की आवश्यकतानुसार वांछित खाद्य सामग्री, की दरे सूखी खाद्य सामग्री यथा अनाज, दाले, मसाले इत्यादि के लिए प्रत्येक 04 माह के उपरान्त कोटेशन के माध्यम से तथा जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री यथा दूध, दही, घी, सब्जी, फल, पनीर इत्यादि के लिए प्रत्येक 02 माह के उपरान्त कोटेशन के माध्यम से प्राप्त की जा जायेगी। कोटेशन की समयावधि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है।
7. अकादमी द्वारा वांछित खाद्य सामग्री की दरें सभी टैक्सों/सेवाओं की धनराशि को सम्मिलित करते हुए प्रेषित की जाय। खाद्य सामग्री की दरें बाजार में प्रचलित बाजार भाव से अधिक न हों।
8. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आदर्श स्थिति में, अकादमी द्वारा निर्गत कार्यादेश प्राप्त किये जाने के उपरान्त 08 घंटे के भीतर वांछित खाद्य सामग्री सामग्री की आपूर्ति अकादमी में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यद्यपि, अपरिहार्य आपात स्थितियों आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा को सामग्री की आपूर्ति अकादमी मैस में 03 घंटे के भीतर की जायेगी।
9. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अकादमी को आपूर्ति की जाने वाली वांछित खाद्य सामग्री की Expiry Date कार्यादेश/आपूर्ति आदेश प्राप्त होने की तिथि से 03 माह अतिरिक्त होनी चाहिये। आपूर्ति की

- जाने वाली समस्त सामग्री में Production date तथा Expiry Date अंकित होना अनिवार्य हैं। किसी भी स्थिति में अकादमी को Expired सामग्री की आपूर्ति किये जाने की स्थिति में अकादमी विधिक कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगी। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, तथा अकादमी सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण सक्षम पूर्ति अधिकारी / खाद्य निरीक्षक से कराये जाने के लिए स्वतन्त्र होगी तथा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी होने पर फर्म द्वारा अकादमी के पक्ष में जमा धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
10. अकादमी द्वारा वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति अकादमी मैस तक किये जाने हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/भाड़े का भुगतान अकादमी द्वारा नहीं किया जायेगा तथा आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति अपने व्यय पर अकादमी में की जायेगी। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सामान की आपूर्ति के दौरान सामग्री को सावधानीपूर्वक अकादमी मैस में उतारना सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी सामग्री की टूट-फूट, खराब होने अथवा अकादमी को हुये नुकसान की भरपाई आपूर्तिकर्ता फर्म से की जायेगी।
 11. आपूर्तिकर्ता फर्म को आदर्श स्थिति में वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा यद्यपि अपरिहार्य कारणों से भुगतान में विलम्ब हो सकता है। आपूर्तिकर्ता फर्म सुनिश्चित कर लें कि यदि अपरिहार्य कारणवश अकादमी स्तर से भुगतान में विलम्ब होता है, उस स्थिति में अकादमी को खाद्य सामग्री की आपूर्ति किये जाने का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।
 12. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अकादमी को संलग्न सूची में उल्लिखित गुणवत्ता, ब्रांड की वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति समय पर न किये जाने अथवा असंतोषजनक होने पर संस्थान को किसी प्रकार की हानि होने पर जमानत राशि जब्त अथवा विनियोजित कर ली जायेगी।
 13. फर्म को संलग्न सूची में अंकित ब्राण्ड की खाद्य सामग्री की आपूर्ति समय पर किया जाना अनिवार्य होगा।
 14. पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार धरोहर राशि, कार्यपूर्ति गारंटी, प्रतिभूति निक्षेप इत्यादि, यथास्थिति की राशि की एफ0डी0आर0 निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बंधक रखी जायेगी। धरोहर धनराशि की वैधता आवंटित कार्य की समाप्ति की तिथि दिनांक 31.03.2022 तक रहेगी। कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन उपरान्त उक्त राशि फर्म को वापस कर दी जायेगी। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुसार उक्त धरोहर राशि, कार्यपूर्ति गारंटी, प्रतिभूति निक्षेप, कार्यपूर्ति प्रतिभूति इत्यादि, यथास्थिति की राशि का अभिकलन अकादमी के द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधान अनुसार राशि अभिकलित करने का अकादमी का निर्णय अंतिम है।
 15. अकादमी द्वारा पंजीकृत प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने के उपरान्त वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति के संबंध में उपरोक्त शर्तों के अनुसार किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अकादमी की आवश्यकता के अनुसार सेवाएं नहीं दिये जाने पर फर्म को कार्य से हटा दिया जायेगा तथा प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी और कार्य का अवसर दोबारा नहीं दिया जायेगा।
 16. किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता बरतने पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अकादमी द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति का होगा।
 17. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियमों के अर्न्तगत आमंत्रित की जा रही है। किसी भी विसंगति अथवा असंगति की स्थिति में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के समस्त प्राविधान व सिद्धान्त अंतिम रूप से प्रभावी होंगे।

18. पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्म यदि पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन करने अथवा सामग्री की समय से आपूर्ति करने में असफल रहती है अथवा निर्धारित मानक से निम्नतर प्रकार की सामग्री की आपूर्ति करती है अथवा कोई गलत घोषणा/तथ्य प्रस्तुत करती है तो उसे आपूर्तिकर्ता की अनुमोदित सूची से हटा दिया जायेगा।
19. आपूर्तिकर्ता फर्मों का पंजीकरण प्रथम बार 01वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा,जिसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्मों के कार्यों, आचरण, सेवाओं इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुये, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावाली, 2017 में विहित प्राविधानों के अधीन अधिकतम 02 वर्षों के लिये अकादमी द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
20. अकादमी मैस के संचालन में प्रयुक्त होने वाली संभावित खाद्य सामग्री की सूची प्रपत्रों के साथ संलग्न है,जिसमे अकादमी की आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।
21. अकादमी द्वारा वाछित खाद्य खब्राण्ड से निर्मित सामग्री उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ब्राण्ड परिवर्तन हेतु मेस कमेटी अथवा अकादमी के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह भी सुनिश्चित कर लें कि खाने वाली सभी सामग्री ब्राण्डेड हों।

पंजीकरण पत्र

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, नैनीताल
खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पंजीकरण प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2024-2025

1. फर्म का नाम.....
.....
2. फर्म के स्वामी का नाम:.....
.....
3. फर्म का पता.....
.....
4. e-mail एवं दूरभाष/मोबाईल संख्या
5. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India -FSSAI) से नियमानुसार लाइसेंस संख्या (अनिवार्य).....
6. फर्म का आयकर पेन (PAN) संख्या.....
7. जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या (अनिवार्य).....
8. पंजीकरण
 - (क) सूखी खाद्य सामग्री हेतु.....
 - (ख) जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री हेतु.....
 - (ग) अथवा 'क' 'ख' दोनों हेतु.....
9. पंजीकरण शुल्क का विवरण—
 - (अ) राष्ट्रीकृत बैंक का नाम.....
.....
 - (ब) बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक.....
.....
 - (स) धनराशि.....
10. धरोहर धनराशि का विवरण—
 - (अ) राष्ट्रीकृत बैंक का नाम.....
.....
 - (ब) एफ0डी0आर0 संख्या एवं दिनांक.....
.....
 - (स) धनराशि.....
11. नियम एवं शर्तों में उल्लिखित वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए।

12. राजकीय अधिष्ठानों/विभागों व अन्य संस्थाओं, निगमों इत्यादि स्थलों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति कार्य अनुभव का विवरण यदि कोई हो तो—

.....
13. अन्य प्रमाण पत्र (यदि कोई हों)

.....
.....

.....
.पंजीकरण आवेदन के साथ संलग्न सभी नियम एवं शर्तें मुझे मान्य हैं। किसी विवाद की स्थिति में अकादमी के निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम होगा जो मुझे मान्य होगा।

फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर दिनांक सहित एवं मुहर

सामग्री की सूचियां केवल आवेदनकर्ता के सूचनार्थ हैं, दरें पंजीकरण होने के उपरान्त अकादमी द्वारा सूचना निर्गत किये जाने के उपरान्त दी जानी होंगी

जिन खाद्य सामग्री में ब्रांड अंकित नहीं है उस दशा में आवेदनकर्ता द्वारा सामग्री की पैकिंग पर खाद्य लाइसेंस संख्या चिन्हित हो तथा पैकिंग की आपूर्ति खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार की जानी अनिवार्य है।

(क) सूखी खाद्य सामग्री की नमूना /संभावित सूची

क्र.सं.	खाद्य सामग्री का विवरण (ब्रान्ड /ट्रेड मार्क /ग्रेड)	मात्रा प्रति	दरें रूपये में
1	आटा महावीर	20 कि.ग्रा.	
2	चावल (बासमती) एच. एम. (बिना पॉलिस के)	10 कि.ग्रा.	
3	तेल रिफाइण्ड धारा	1 लीटर	
4	तेल रिफाइण्ड फॉर्चून	1 टिन	
5	तेल सरसों पंतजलि	1 लीटर	
6	तेल सरसों फॉर्चून 1 टिन	15 लीटर	
7	घी पंतजलि	प्रति कि.ग्रा.	
8	घी आँचल	प्रति कि.ग्रा.	
9	बेसन –राजधानी	प्रति कि.ग्रा.	
10	नमक टाटा	प्रति कि.ग्रा.	
11	हल्दी पाउडर कैच	प्रति 200.ग्रा.	
12	मिर्च पाउडर कैच	प्रति 200.ग्रा.	
13	काली मिर्च पाउडर कैच	प्रति 200.ग्रा.	
14	चाय लिप्टन/ taza	प्रति कि.ग्रा.	
15	कॉफी पाउडर नेस्ले	प्रति 200.ग्रा.	
16	सांभर मसाला पाउडर कैच	प्रति 100 ग्रा.	
17	जैम किसान	प्रति 500 ग्राम	
18	कार्नापलेक्स Tops	475 ग्राम	
19	मिक्स अचार	प्रति कि.ग्रा.	
20	पापड LIJJAT	200 ग्राम	

21	कसूरी मैथी कैच	200 ग्राम	
22	हींग कैच	प्रति 100 .ग्रा.	
23	वेज मेयनीज सॉस	प्रति 100 .ग्रा.	
24	अमचूर पाउडर कैच	प्रति 100 .ग्रा.	
25	गरम मसाला कैच	प्रति 100 .ग्रा.	
26	रेड चिल्ली सॉस टॉप्स	प्रति 750 .ग्रा.	
27	बिस्कुट डाइजेस्टिव ब्रिटेनिया	प्रति 250 .ग्रा.	
28	बिस्कुट मीठा ब्रिटेनिया	प्रति 250 .ग्रा.	
29	बिस्कुट नमकीन ब्रिटेनिया	प्रति 250 .ग्रा.	
30	नमकीन पैकेट मुंगदाल हल्दीराम	प्रति 200 .ग्रा.	
31	नमकीन पैकेट नवरत्न हल्दीराम	प्रति 200 .ग्रा.	
32	नमकीन पैकेट पंचरत्न हल्दीराम	प्रति 200 .ग्रा.	
33	नमकीन पैकेट भुजिया हल्दीराम	प्रति 200 .ग्रा.	
34	नमकीन पैकेट मिक्स हल्दीराम	प्रति 200 .ग्रा.	
35	काला नमक कैच	प्रति किलो	
36	मिल्क मेड- प्रति 250 ग्रा.	प्रति टिन	
37	गुलाब जामुन मिक्स पाउडर – GITS	प्रति 200 ग्रा.	
38	धनिया पाउडर कैच	प्रति किलो	
39	किसान टोमेटो सॉस	प्रति किलो	
40	अमूल आइसक्रीम (बटर स्कॉच)	750 एम0एल0	
41	चाट मसाला कैच	प्रति 100 ग्राम	
42	चावल मोटा	01 कि.ग्रा.	
43	दाल अरहर	प्रति कि.ग्रा.	
44	दाल मल्का	प्रति कि.ग्रा.	
45	मसूर दाल	प्रति कि.ग्रा.	
46	काली मल्का	प्रति कि.ग्रा.	
47	काबुली चना मीडियम	प्रति कि.ग्रा.	
48	राजमा	प्रति कि.ग्रा.	
49	दाल चना	प्रति कि.ग्रा.	

50	उड़द दाल	प्रति कि.ग्रा.	
51	उड़द साबुत	प्रति कि.ग्रा.	
52	उड़द धुली	प्रति कि.ग्रा.	
53	मूंग दाल धुली	प्रति कि.ग्रा.	
54	मूंग दाल	प्रति कि.ग्रा.	
55	सूजी	प्रति कि.ग्रा.	
56	धनिया साबुत	प्रति 200.ग्रा.	
57	जीरा साबुत सादा	प्रति कि.ग्रा.	
58	सौंफ महीन	प्रति 200.ग्रा.	
59	काजू	प्रति 250.ग्रा.	
60	बादाम	प्रति 250.ग्रा.	
61	मगज	प्रति 250.ग्रा.	
62	सिरका सफेद	प्रति लीटर	
63	कार्नाफ्लोर	500 ग्राम	
64	सेवई	1 पैकेट	
65	मशरूम tin	800 ग्राम	
66	टी-बैग 100 पैकेट	प्रति 100 पैकेट	
67	ग्रीन टी	500 ग्राम	
68	शूगर क्यूब	400 ग्राम	
69	सोया सॉस	750 मिली	
70	भट्ट पहाड़ी	प्रति कि.ग्रा.	
71	लोबिया	प्रति कि.ग्रा.	
72	बेकिंग सोडा पाउडर	प्रति 100 .ग्रा.	
73	सोडा मीठा	प्रति 100 .ग्रा.	
74	पोहा	प्रति 500 .ग्रा.	
75	सौंफ दाना (Suger coated Saunf)	प्रति 250 .ग्रा.	
76	शहद	प्रति 250 .ग्रा.	
77	ईमली दाना	प्रति 200 ग्रा.	
78	ईनो	प्रति बोतल	

79	बड़ी इलायची	प्रति 50 ग्रा.	
80	बूंदी	प्रति 200 ग्रा.	
81	बतन धोने का जूना (प्लास्टिक)	प्रति नग	
82	बटन मशरूम	प्रति किलो	
83	कोकोनेट पाउडर	प्रति 250 ग्रा.	
84	कोकोनेट साबुत	प्रति कि.ग्रा.	
85	काजू साबुत	प्रति कि.ग्रा.	
86	कडी पत्ता	प्रति 100 ग्रा.	
87	केवड़ा वाटर	प्रति 250 ग्रा.	
88	कलौंजी	प्रति 250 ग्रा.	
89	मक्का आटा (Corn Flour)	प्रति किलो	
90	मस्टर्ड पाउडर	प्रति 250 ग्रा.	
91	मडुवा आटा	प्रति किलो	
92	मुगफली दाना	प्रति कि.ग्रा.	
93	मैथी दाना	प्रति 200 ग्रा.	
94	किचन किंग	प्रति 250 ग्रा.	
95	मिक्स सब्जी मसाला	प्रति 200 ग्रा.	
96	पिस्ता	प्रति कि.ग्रा.	
97	रिच क्रीम	प्रति किलो	
98	सिल्वर फॉईल	प्रति किलो	
99	विनेगर	प्रति बोतल	
100	चिरोन्जी	प्रति 250 ग्रा.	
101	नूडल्स	प्रति किलो	
102	पास्ता	प्रति कि.ग्रा.	
103	रोस्टेड चना	प्रति कि.ग्रा.	
104	सरसों दाना (लाल)	प्रति 250 ग्रा.	
105	साबूदाना	प्रति 500 ग्रा.	
106	सौंठ पाउडर	प्रति 100 ग्रा.	
107	छोले मसाला	प्रति 100 ग्रा.	

108	दाल चीनी	प्रति 250 ग्रा.	
109	वर्तन धोने की स्टील जाली	प्रति नग	
110	वर्तन धोने का स्क्रबर	प्रति नग	
111	चीज slice	प्रति 250 ग्रा.	
112	फूड कलर	200 ml	
113	तेज पत्ता खुला हुआ	प्रति 100 ग्राम	
114	जख्या	प्रति 100 ग्राम	
115	जायफल स्टेन्डर्ड साइज	प्रति 100 ग्रा.	
116	जावित्री	प्रति 100 ग्रा.	
117	न्यूट्रीला	प्रति पैकेट	
118	नेपकीन (टिशू पेपर)	प्रति 50	
119	अंजीर	प्रति कि.ग्रा.	
120	अमूल क्रीम	प्रति 200 मिली	
121	अल्टिमेट डायमण्ड पीलिंग	प्रति किलो	
122	अजीनोमोटो	प्रति 250 ग्रा.	
123	अजवाईन	प्रति 200 ग्रा.	
124	गुलाब जामुन टिन	प्रति कि.ग्रा.	
125	लाल मिर्च साबुत	प्रति 250 ग्रा.	
126	फ्रेश क्रीम	प्रति किलो	
127	फ्रूड कोकटल	प्रति पैकेट	
128	फ्रूट सॉल्ट रेगुलर	200 ml	
129	टूथ पिक 100 स्टीक	100 स्टीक	
130	गुड	प्रति किलो	
131	चीनी	प्रति किलो	
132	मैदा	प्रति किलो	
133	लौंग	प्रति 100 ग्राम	
134	काली मिर्च साबुत	प्रति 100 ग्राम	
135	काजू टुकडा	प्रति किलो	
136	कश्मीरी मिर्च	प्रति 100 ग्राम	

137	दलिया	प्रति किलो	
138	बास मिश्री खुली	प्रति किलो	
139	साबुत चना (काला)	प्रति किग्रा	
140	बिम बार	प्रति 100 ग्राम	
141	बिम बार जैल (लैमन)	प्रति 155 मिली0	
142	ग्रीन इलायची	प्रति 100 ग्राम	
143	Basil	प्रति 30 ग्राम	
144	Oregano	प्रति 30 ग्राम	
145	Sama pahadi rice	प्रति किलो	
146	Mineral Water Bottle (250 ml) Bisleri/Kindley/Aquafina Bialely	प्रति नग	
147	Mineral Water Bottle (500 ml) Bisleri/Kindley/Aquafina Bialely	प्रति नग	
148	Mineral Water Bottle (1000 ml) Bisleri/Kindley/Aquafina Bialely	प्रति नग	
149	Bread Crums	प्रति किलो	
150	Pizza Base - 12 inches (Medium)	प्रति नग	
151	कस्टर्ड पाउडर	प्रति 500 ग्राम	
152	केसर	प्रति 01 ग्राम	
153	सूखी मटर	प्रति किलो	
154	Disposable Paper Glass –Water 200ml (Bio-degradable)	प्रति 50 नग	
155	Disposable Paper Glass –Coffee 200ml (Bio-degradable)	प्रति 50 नग	
156	Disposable Plates –12 inch (Bio-degradable)	प्रति 50 नग	
157	Disposable Bowl -3.5inch (Bio-degradable)	प्रति 50 नग	
158	Disposable wooden Spoon (Bio-degradable)	प्रति 50 नग	
159	Disposable silver foil container- 650 ml	प्रति 50 नग	
160	Chiili Flakes	प्रति 100 ग्राम	
161	Tofees packet (50 numbers) - Parle	प्रति नग	
162	Tofees packet (50 numbers) - Eclairs	प्रति नग	
163	Noodles	प्रति किलो	
164	गहत दाल	प्रति किलो	

(ख) जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री की सूची / नमूना संभावित सूची

क्रम संख्या	सब्जियां		दरें रूपये में
1	आलू	प्रति कि.ग्रा.	
2	प्याज	प्रति कि.ग्रा.	
3	टमाटर	प्रति कि.ग्रा.	
4	लौकी	प्रति कि.ग्रा.	
5	बैंगन	प्रति कि.ग्रा.	
6	कददू	प्रति कि.ग्रा.	
7	भिन्डी	प्रति कि.ग्रा.	
8	मटर फली	प्रति कि.ग्रा.	
9	फ़ोजन मटर	प्रति कि.ग्रा.	
10	सेम (Bean)	प्रति कि.ग्रा.	
11	करेला	प्रति कि.ग्रा.	
12	परवल	प्रति कि.ग्रा.	
13	हरा धनिया	प्रति नग	
14	हरी मिर्च	प्रति कि.ग्रा.	
15	शिमला मिर्च	प्रति कि.ग्रा.	
16	फूल गोभी	प्रति कि.ग्रा.	
17	पत्तागोभी	प्रति कि.ग्रा.	
18	मूली	प्रति कि.ग्रा.	
19	गाजर	प्रति कि.ग्रा.	
20	खीरा	प्रति कि.ग्रा.	
21	अरबी	प्रति कि.ग्रा.	
22	अदरक	प्रति कि.ग्रा.	
23	लहसुन	प्रति कि.ग्रा.	
24	नीबू	प्रति कि.ग्रा.	

25	पूदीना	प्रति नग	
26	गडेरी	प्रति कि.ग्रा.	
27	हरा प्याज	प्रति कि.ग्रा.	
28	चूकन्दर	प्रति कि.ग्रा.	
हरी सब्जियाँ			
29	पालक,	प्रति नग	
30	लाई,	प्रति नग	
31	मेथी,	प्रति नग	
फल			
32	सेब	प्रति कि.ग्रा.	
33	केला	प्रति 12 नग	
34	अनार	प्रति कि.ग्रा.	
35	सन्तरा	प्रति कि.ग्रा.	
36	पपीता	प्रति कि.ग्रा.	
37	अंगूर	प्रति कि.ग्रा.	
38	किन्नु	प्रति कि.ग्रा.	
अन्य			
39	दही –आंचल	प्रति कि.ग्रा.	
40	दूध –आंचल	प्रति लीटर	
41	अमूल मक्खन	प्रति कि.ग्रा.	
42	पनीर –आंचल	प्रति कि.ग्रा.	
43	छॉछ– आंचल	प्रति 250 एम0एल	
44	ब्रैड जम्बो	जम्बो	
45	ब्रैड ब्रिटेनिया	500 ग्राम	
मांसाहार खाद्य सामग्री			
46	मटन	प्रति किलो	
47	फिश पगास	प्रति किलो	

48	फिश रोहू	प्रति किलो	
49	चिकन	प्रति किलो	
50	अण्डे	प्रति नग	
